"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 फरवरी 2018 — माघ 13, शक 1939

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 17 जनवरी 2018

अधिसूचना

क्रमांक एफ 4-71/सात-1/2017. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्र. 20 सन् 1959) की धारा 258 की उप-धारा (1) तथा उप-धारा (2) के खण्ड (इकसठ) सहपठित धारा 240 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त संहिता की धारा 240 के अधीन निर्मित वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध अथवा विनियमन के संबंध में विद्यमान नियम (यथा संशोधित), जो इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 2-8-सात-एस-8-94, दिनांक 29 जुलाई, 1997 द्वारा अधिसूचित है, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में,-

नियम 8 में, शब्द "वृक्ष कटाई की अनुमति" के पश्चात्, शब्द "एक मास के भीतर" अंत:स्थापित किया जाये.

No. F 4-71/seven-1/2017.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (1xi) of sub-section (2) of Section 258 read with Section 240 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the existing Rules Regarding Prohibition of Regulation of the Cutting of Trees (as amended) framed under Section 240 of the said Code notified vide this department's

Notification No. f-2-8-VII-S-8-94, dated 29th July, 1997, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 8, after the word " competent authority", the words " within one Month " shall be inserted.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. निहालानी, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2018.